

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1 से 2

उपभोक्ता फोरमों में अन्य लघु निर्माण कार्यो तथा साज-सज्जा हेतु ₹40.66 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹40,66,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 से 4

प्रशिक्षण हेतु ₹34.28 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹34,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 से 6

अन्तर्राज्यीय संचलन और उठाई-धराई तथा पी.डी.एस. डीलर मार्जिन हेतु ₹2935.13 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹29,35,13,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 से 14

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग में वेतन भत्ते, मजदूरी, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय तथा अनुरक्षण कार्य हेतु ₹20.61 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹20,61,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

शक्कर वितरण योजना हेतु ₹5000.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹50,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों को प्रोत्साहन सहायता हेतु ₹73.44 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹73,44,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

अन्नपूर्णा योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹40.05 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹40,05,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 से 20

नियंत्रक नाप तौल कार्यालयों में अनुरक्षण कार्य, सामग्री और पूर्तियां तथा मशीन एवं उपकरण हेतु ₹14.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।